उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संख्याः G26144/सी–3/एनओसी–नोडल/2018 दिनांक 19-01-2018

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार की ''सौर ऊर्जा नीति–2017'' के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले सौर पावर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से एतदद्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या जी20434/सी–3/एन.ओ.सी.–नोडल/विविध–96 दिनांक 09–6–2015 का अतिक्रमण कर यह आदेश दिया जाता है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ''सौर ऊर्जा नीति–2017'' के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना को सुगम करने हेतु ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं को पूर्व में बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या G02164/37/ARN/97 दिनांक 03.06.1997 के द्वारा चिन्हित अप्रदूषणकारी उद्योगों की भाँति बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के तहत स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने की बाध्यता से निम्न शर्तों के साथ अवमुक्त किया जाता हैः–

1. ''सौर ऊर्जा नीति–2017'' के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऑनलाईन अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) आवेदन को निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करने का साक्ष्य ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) माना जायेगा एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
2. ''सौर ऊर्जा नीति–2017'' के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऑनलाईन उपलब्ध जल एवं वायु सहमति आवेदन को निर्धारित प्रति वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन जमा करने का साक्ष्य ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त सहमति शुल्क के सापेक्ष अवधि हेतु निर्गत जल एवं वायु सहमति मानी जायेगी एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से सहमति आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यालय ज्ञाप संख्या G02164/37/ARN/97 दिनांक 03.06.1997 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होगें।

(रेणुका कुमार)
अध्यक्ष

पृ0 संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. समस्त वृत्तों/अनुभागों के नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री प्रदीप शर्मा, वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड की वेबसाईट में प्रदर्शित करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

(आशीष तिवारी)
सदस्य–सचिव